न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – सौरभ स्वामी, आई.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 39/2018
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. बलजीतसिंह एवं
2. हरजीतसिंह आत्मजन स्व. श्री कर्मसिंह, रामगढिया, कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
3. श्रीमती बलवन्तकौर धर्मपत्नी स्व. श्री कर्मसिंह, रामगढिया, कोठा तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदकगण

बनाम

1. गुरचरणसिंह आत्मज श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह, तरखान, कोठा,
2. राज्य सरकार द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर,
3. शाखा प्रबन्धक, पंजाब एण्ड सिंध बैंक, शाखा, खालसा कालेज, श्रीगंगानगर.
4. शाखा प्रबन्धक, बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा–श्रीगंगानगर.

.....अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री सुरेश अरोड़ा (आवेदकगण)
श्री मोहनलाल पूनिया(अनावेदक–1)
श्री हिम्मतसिंह जुनेजा(अनावेदक–3)
पैरोकार राज (अनावेदक–2)

दिनांक 17 सितम्बर, 2018

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 4 ए बडा तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/3 मुरब्बा नम्बर 9, 18, 19 एवं 31 की कुल 6.579 हैक्टर कृषि भूमि में से आवेदक संख्या 1 श्री बलजीतसिंह के नाम पर 0.9855 हैक्टर, आवेदक संख्या 2 श्री हरजीतसिंह के नाम पर 0.9855 हैक्टर, आवेदक संख्या 3 श्रीमती बलवन्तकौर के नाम पर 1.317 हैक्टर, अनावेदक संख्या 1 के नाम पर 3.288 हैक्टर, अन्य खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 9, 18 एवं 30 की कुल6.579 हैक्टर में से आवेदक संख्या 1 श्री बलजीतसिंह के नाम पर 1.507 हैकटर, आवेदक संख्या 2 श्री हरजीतसिंह के नाम पर 1.507 हैकटर एवं अनावेदक संख्या 3 श्रीमती बलवन्तकौर के नाम पर 0.274 हैकटर एवं अनावेदक संख्या 1 के नाम पर 3.288 हैक्टर कृषि भूमि संयुक्त रूप से राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. इस प्रकार दोनों खाता की कुल 13.158 हैक्टर में से आवेदक संख्या 1 के नाम पर कुल 2.4925 हैक्टर, आवेदक संख्या 2 के नाम पर 2.4925 हैक्टर एवं आवेदक संख्या 3 के नाम पर 1.591 हैक्टर एवं शेष अनावेदक संख्या 1 के नाम पर संयुक्त खाता में दर्ज है. पक्षकारान को एक ही परिवार

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

के उत्तराधिकार से प्रश्नगत कृषि भूमि प्राप्त हुई है. पूर्व में प्रश्नगत कृषि भूमि आवेदकगण के दादा/श्वसुर श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह के नाम से दर्ज थी. श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह की मृत्योपरीान्त उनके कुल 7 वारिसान को न्यागत हुई जिनमें तीन वारिसान श्रीमती भोलो, श्रीमती गुड्डी एवं श्रीमती छिन्द्रकौर आत्मजन स्व. श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि का दस्तबरदारी द्वारा अनावेदक संख्या 1 के पक्ष में परित्याग कर दिया गया. अन्य श्रीमती मेजरसिंह एवं श्रीमती मलकीयतकौर आत्मजन स्व. श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह द्वारा अपने पैतृक अधिकारों का आवेदक संख्या 1 व 2 के पक्ष में परित्याग कर दिया गया. श्रीमती गुरदयालकौर धर्मपत्नी स्व. श्री तारासिंह उर्फ अवतारसिंह द्वारा अपने हिस्सा की कृषि भूमि की आवेदकगण के पक्ष में वसीयत निष्पादित कर दी गयी जिनकी मृत्योपरान्त उनके नाम पर दर्ज कृषि भूमि की वसीयत की क्रियान्विती में आवेदकगण के नाम पर कृषि भूमि दर्ज की गयी. प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता की पैतृक सम्पतित है जिस पर आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 का संयुक्त रूप से चला आ रहा है. आवेदकगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि में सुधार कार्य करवाना चाहते हैं किन्तु प्रश्नगत कृषि भूमि संयुक्त खाता में दर्ज होने के कारण आवेदकगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि में सुधार कार्य नहीं करवा पा रहे तथा लगान की अदायगी, पानी की बारी को लेकर सदैव विवाद बना रहता है. जिससे आवेदकगण विभिन्न राजकीय योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं इसलिये आवेदकगण प्रश्नगत कृषि भूमि को किलावाईज विभाजित करवाकर अपने अपने नाम पर दर्ज करवाना चाहते हैं. जिसके लिये आवेदकगण द्वारा अनावेदक संख्या 1 को बार बार संयुक्त खाता की कृषि भूमि का सहमति से विभाजन करवाकर पृथक पृथक खाता में दर्ज करवाने का निवेदन किया गया किन्तु अनावेदक संख्या 1 द्वारा टालमटोल करते हुऐ दिनांक 15 अप्रेल, 2018 को सहमति से विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया गया क्योंकि अनावेदक संख्या 1 लालचवश अच्छी किस्म की कृषि भूमि को अन्तरित कर अनुचित लाभ उठाने में प्रयासरत है जिसके लिये उसके द्वारा ग्राहकों को कृषि भूमि दिखानी आरम्भ कर दी गयी है. यदि अनावेदक संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि को बिना विभाजित करवाये विक्रय/अन्तरित करने में सफल हो जाता है तो वाद बाहुल्यता बढेगी तथा आवेदकगण को अपूर्णनीय क्षति होगी. इस प्रकार आवेदकगण द्वारा वाद के निस्तारण तक, चक 4 ऐ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/3 के मुरब्बा नम्बर 9, 18, 19 एवं 31 की कुल 6.579 हैक्टर एवं खाता संख्या 267/35 के मुरब्बा नम्बर 9, 18 एवं 30 की कुल 6.579 हैक्टर दोनों खातों की कुल 13.158 हैक्टर भूमि को विभाजन से पूर्व बंधक, विक्रय अथवा किसी अन्य तरीका से अन्तरित नही करने बाबत निषिद्व करने हेतु अस्थायी निषेधाज्ञा के लिये निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2066–2069 की चित्रित प्रति संलग्न प्रस्तुत की गयी.

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

अनावेदक संख्या 1 एवं अनावेदक संख्या 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से पैरोकार राज उपस्थित. अनावेदक संख्या 4 स्वयं उपस्थित. जिसके द्वारा पुनः दिनांक 16 जुलाई, 2018 को उपस्थित नहीं आने के कारा आदेश दिनांक 16 जुलाई, 2018 द्वारा अनावेदक संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गयी.

अनावेदक संख्या 1 द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 16 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 के दादा एवं पिता द्वारा एक बंटवारानामा इकरारनामा दिनांक 30 जून, 1989 को सभी की सहमति से अभिलिखित किया गया था जिसके अनुसार अनावेदक संख्या 1 को चक 4 ए बड़ा के खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 30 सालम, मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 21(0.10), मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 21 सालम कुल 26.10 बीघा कृषि भूमि दी गयी थी तभी से अनावेदक संख्या 1 अपने हिस्सा की कृषि भूमि पर काश्त करता आ रहा है. आवेदकगण के पास चक 4 ए बड़ा के खाता संख्या 26/3 मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 21(0.10), मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 22 सालम, मुरब्बा नम्बर 19 के 12.00 बीघा, मुरब्बा नम्बर 31 के 13.00 बीघा विभाजन में प्राप्त हुई जो उसी समय से ही आवेदकगण के कब्जा में चलरी आ रही है. तत्पश्चात, आवेदकगण एवं अनावेदक संख्या 1 के मध्य घरू बंटवारा दिनांक 28 फरवरी, 2011 किया गया जिसके अनुसार भी अनावेदक संख्या 1 के पास खाता संख्या 27/35 के मुरब्बा नम्बर 9 किला नम्बर 21(0.10),, मुरब्बा नम्बर 18 किला नम्बर 21 सालम, मुरब्बा नम्बर 30 किला नम्बर 12 से 25 ही दिया गया. अनावेदक संख्या 1 उसी अनुरूप आज भी अपने हिस्सा की कृषि भूमि को काश्त कर रहा है. आवेदकगण द्वारा कभी भी प्रश्नगत कृषि भूमि के विभाजन एवं पृथक पृथक खाता में दर्ज करवाने हेतु नही कहा गया एवं न ही अनावेदक संख्या 1 प्रश्नगत कृषि भूमि में अपने हिस्सा को विक्रय करने में प्रयासरत है. एवं न ही उसे विक्रय करने की आवश्यकता ही है बल्कि आवेदकगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि को विक्रय करने में प्रयासरत हैं. आवेदकगण किसी भी प्रकार से अनावेदक संख्या 1 को अपने स्वामित्व की कृषि भूमि के उपयोग एवं उपभोग से वंचित नहीं कर सकते. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया गया.

अनावेदक संख्या 3 की ओर से जवाब आवेदनपत्र दिनांक 16 जुलाई, 2018 प्रस्तुत किया गया. जिसके अनुसार आवेदक संख्या 1 व 2 द्वारा अपने अपने हिस्सा की क्रमशः 2.493 हैक्टर एवं 2.492 हैक्टर कृषि भूमि पर क्रमशः 10 लाख एवं 9.50 लाख को किसान केडिट कार्ड के माध्यम से ऋण लिया गया है. जिसका अंकन राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. तथा आवेदकगण द्वारा इस तथ्य को माननीय न्यायालय से छिपाया गया है. इसलिये आवेदकगण किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है. विभाजन से पूर्व कृषि को ऋणमुक्त किया जाना आवश्यक है. इस प्रकार आवेदनपत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं कमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

राजस्व अभिलेखानुसार चक 4 ऐ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/3 के मुरब्बा नम्बर 9, 18, 19 एवं 31 की कुल 6.579 हैक्टर एवं खाता संख्या 267/35 के मुरब्बा नम्बर 9, 18 एवं 30 की कुल 6.579 हैक्टर दोनों खातों की कुल 13.158 हैक्टर भूमि संयुक्त खाता में दर्ज है. विधिवत विभाजन से पूर्व कृषि भूमि के प्रत्येक इन्च पर प्रत्येक सह खातेदार का अधिकार माना जाता है. ऐसी स्थिति में, यदि आवेदकगण अथवा अनावेदक संख्या 1 संयुक्त खाता की अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि को बंधक, विकय अथवा अन्य तरीका से अन्तरित करते हैं तो निशिचित रूप से अन्य सहखातेदार के अधिकार प्रभावित होंगे. तथा विधि द्वारा स्थापित सिद्वान्तों के अनुसार यदि किसी सह खातेदार के अधिकार प्रभावित होते हैं तो सहखातेदार के विरूद्व भी अस्थायी निषेधाज्ञा दी जा सकती है. ऐसी स्थिति में, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति का बिन्दु आवेदकगण के पक्ष में सिद्व होता है. जिसकी बाबत अनावेदक संख्यया 1 अधिवक्ता द्वारा अपने अपने हिस्सा की कृषि भूमि को विकय नहीं करने की सीमा तक अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर सहमति प्रकट की गयी.

अतः आवेदनपत्र इस सीमा तक स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान, मूल वाद के निस्तारण तक, चक 4 ऐ बड़ा तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 26/3 के मुरब्बा नम्बर 9, 18, 19 एवं 31 की कुल 6.579 हैक्टर एवं खाता संख्या 267/35 के मुरब्बा नम्बर 9, 18 एवं 30 की कुल 6.579 हैक्टर दोनों खातों की कुल 13.158 हैक्टर भूमि को विभाजन एवं ऋणमुक्त होने से पूर्व विकय करने से निषिद्व रहें.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 17 सितम्बर, 2018 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर.